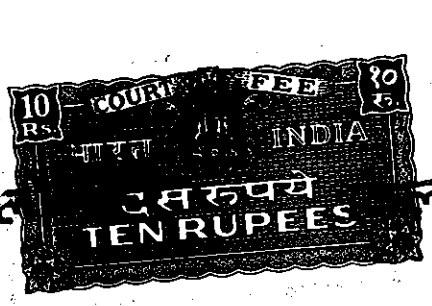

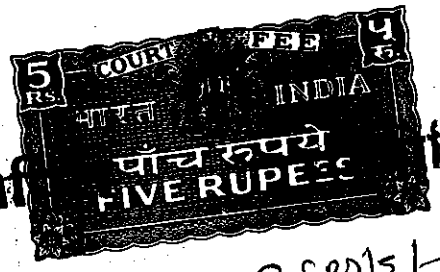

COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 Rs.
COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

वि... पिल

C-8(5)5/— 2

(33)

आर डी. शर्मा एडवोकेट 21/10/04

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक /2004 R 1383-II/2004

1. रामकुमारे
2. लल्लूराम
3. मथुरा

पुत्रगण छंगन अहिर

निवासीगण ग्राम भोडार तहसील चितरंगी
जिला सीधी (म.प्र.)
द्वारा मुख्त्यारखास रामलल्लू वैस
पुत्र श्री काशीराम निवासी चिनगो तह. चितरंगी
जिला सीधी

... आवेदकगण

विरुद्ध

1. राम जी
2. सुमेशर
3. रामजियावन

पुत्रगण देवलाल अहीर

निवासीगण ग्राम भोडार तहसील चितरंगी
जिला सीधी (म.प्र.)

.. अनावेदकगण

21-10-04

न्यायालय कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 401/अपील/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 22.9.2004 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है :-

1. यह कि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित ... विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1383–दो/2004 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–11–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित । अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुवंर सिंह कुशवाह उपस्थित। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 401/अपील/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है। 4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आलोच्य आदेश दिनांक 22–09–2004 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। प्रकरण में कब्जा प्रविष्टि का विवाद विचारणीय है । इस संबंध में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 121 की टिप्पणी–3 के निम्नानुसार प्रावधान उल्लेखित है– " पटवारी द्वारा दी गई खसरे में कोई प्रविष्टि यदि गलत है और धारा 114 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत रेव्हन्यू निर्णय वार्षिक पेपर्स तैयार हुये है तो यथास्थिति एक वर्ष	

के भीतर धारा 116 के तहत अन्यथा धारा 115 के तहत तहसीलदार द्वारा उस विवादित प्रविष्टि का परीक्षण किया जाकर गलत पाये जाने पर शुद्धि करने का आदेश दिया जा सकता है ।" लेकिन पटवारी, संहिता की धारा 121 के नियम 6, 7 एवं 8 के अधीन अपना कानूनी कर्त्तव्य निर्वहन करने के लिये बाध्यताधीन है। नियमों के अधीन कब्जा–विषयक कोई मामला विनिश्चत नहीं किया जा सकता । तहसीलदार को इन उपबंधों के अधीन कब्जा अभिलिखित करने की शक्ति नहीं है। अतः पटवारी को धारा 121 के नियमों के तहत कोई प्रविष्टि भी खसरे में करने की अधिकारिता नहीं है । आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने इन महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर ध्यान न देते हुये जो आदेश पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त प्रावधान के परिपालन में आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा की गई, उक्त विवेचना विधि अनुकूल पाये जाने से प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य